अध्याय IV

MEDIF व FREMEC

MEDIF फार्म आयटा द्वारा अनुमोदित दस्तावेज है जिसमें अशक्त यात्री के वहन के लिए एयरलाइन को दी जाने वाली न्यूनतम जानकारी की सूची है। यात्री के वहन के लिए अपेक्षित होने पर हम अतिरिक्त सूचना अथवा स्पष्टीकरण मांगने के लिए स्वतंत्र है। MEDIF फार्म यात्री द्वारा पूरा भरा जाए अथवा यात्री द्वारा भरने में असमर्थ होने पर इसे इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भरा जाए। इस फार्म के कुछ भाग में यात्रा विवरण तथा उड़ानगत अथवा यात्रा के दौरान अपेक्षित सेवाओं का विवरण दिया जाना अपेक्षित होता है जबकि MEDIF का एक महत्त्वपूर्ण भाग अशक्त यात्री के चिकित्सक द्वारा भरा जाए जिसमें यात्री के रोग की स्थिति संबंधी सूचना प्रदान की जाती है। फार्म के अंत में दिए गए उपचार कर रहे चिकित्सक के प्रमाणन तथा यात्री की वचनबद्धता/घोषणा सहित MEDIF फार्म को पूरा भरा जाए। सबसे महत्त्वपूर्ण है कि हवाई यात्रा के लिए अनुरोध कर रहे यात्री/प्रतिनिधि को MEDIF **फार्म पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। वाणिज्यक एयरलाइन द्वारा यात्रा करने पर अशक्त यात्री के लिए हर बार MEDIF फार्म भरा जाना आवश्यक है तथा दिया गया क्लीयरेंस विशिष्ट उड़ान तथा तिथि के लिए मान्य होता है।**

MEDIF **फार्म एअर इंडिया के सभी आरक्षण कार्यालयों में नि:शुल्क उपलब्ध है।**

ऐसे अशक्त यात्री जो प्राय: यात्रा करते हैं तथा जिनकी अशक्तता स्थायी है व पूर्णत: प्रमाणित है तथा भविष्य में उसमें सुधार होने की कोई संभावना नहीं है, उन्हें एअर इंडिया से यात्रा करने पर हर बार MEDIF **भरने की आवश्यकता नहीं है। पूरा** MEDIF **फार्म भरकर, वे चिकित्सा सेवाएं विभाग, मुंबई से** FREMEC **कार्ड (ऊपर दर्शाया गया है) जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं जो नि:शुल्क जारी किया जाता है। अशक्तता के आधार पर** FREMEC **कार्ड की निर्दिष्ट वैधता अवधि होती है। इससे यात्री अनुरोध की गई सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार हो जाता है तथा इससे यात्री को हर बार** MEDIF **फार्म भरने की आवश्यकता नहीं होती है। गठिया की गंभीर स्थिति के कारण व्हील चेयर की आवश्यकता, डायबिटिक्स के लिए विशेष भोजन, दिव्यांग बच्चों के लिए ऑक्सीजन/व्हीलचेयर की आवश्यकता जैसे आम विकारों के लिए** FREMEC **कार्ड जारी किया जा सकता है।**

एअर इंडिया

बहुधा यात्रा करने वाले यात्री का चिकित्सा कार्ड (FREMEC)

निर्देशों का अनुपालन। शेडेड बॉक्स में दी गई जानकारी को किसी भी आरक्षण अनुरोध के साथ अवश्य संप्रेषित करें। यात्रा अनुरोध को इस कार्ड के साथ प्राधिकृत न किए जाने पर अक्षम यात्री हैंडिलिंग सूचना (एनसीएडी) पूरी की जानी अपेक्षित होती है।

FREMEC **सं.** ____________ (एयरलाइन कोड नं.) (क्र.सं.)

द्वारा जारी ____________ (एयरलाइन के चिकित्सा विभाग का टेलेक्स कोड)

तक मान्य ____________ (दिन/माह/वर्ष)

इस कार्ड के धारक का नाम

(उपनाम)	**(नाम)**	**(टाइटल)**	**(लिंग)**	**(आयु)**

(स्थायी पता)	**(फोन)**

निम्नलिखित स्थायी/क्रॉनिक अक्षमताएं हैं ____________

(कोड, यदि कोई है उदाहरण : WCHC आदि)

FREMEC **कार्ड जारी करने वाला चिकित्सा विभाग, कार्डधारक को इस कार्ड की वैधता अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्तों के अधीन हवाई यात्रा करने के लिए प्राधिकृत करता है : (क) पीछे उल्लिखित शर्तों (ख) धारक के वर्तमान स्वास्थ्य में गिरावट न आए (ग) वाहक के सभी नियमों, विनियमों तथा निर्देशों का पूरा अनुपालन किया जाना तथा निम्निलिखित सीमाओं के साथ:**

(किसी विशेष भोजन आवश्यकता सहित सीमाओं का उल्लेख करें)

एअर इंडिया
जारी करने की शर्तें

1) कार्डधारक के लिए अपनी वर्तमान दिव्यांगता अथवा अशक्ततामें हुए सभी परिवर्तन तथा/अथवा शारीरिक व मानसिक स्थिति और बिगड़ने की रिपोर्ट उस एयरलाइन प्रतिनिधि अथवा एजेंट को रिपोर्ट करनी अपेक्षित है जिनके वह संपर्क में है।

2) कार्ड में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अधीन, हवाई यात्रा का प्राधिकार फ्रंट में दी गई तिथि तक मान्य है।

3) कार्ड अहस्तांतरणीय है तथा कार्डधारक के लिए एयरलाइन आरक्षण करवाते समय, टिकट जारी कराते समय तथा एयरलाइन अथवा उसके एजेंट अथवा प्रतिनिधि द्वारा मांगे जाने पर कार्डधारक अपने पहचान-पत्र के साथ कार्ड अवश्य प्रस्तुत करे।

4) कार्डधारक को जहां तक संभव हो अपनी यात्रा हेतु व्यवस्था एडवांस में करानी चाहिए। उनके द्वारा चेक-इन औपचारिकताओं के लिए पर्याप्त समय देना अपेक्षित है।

हस्ताक्षर तथा मोहर

चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा सेवाएं, एअर इंडिया
स्टेशन ....

यात्री के हस्ताक्षर

(यदि यात्री हस्ताक्षर करने में असमर्थ है तो कानूनी संरक्षक अथवा यात्री के गवाह हस्ताक्षर)

जारी करने की तिथि एवं स्थान